

बैंकरप्सी कोड में आपेक्षति सुधार की कवायद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया' ने नियमों में बदलाव करते हुए यह दरशाना अनविरय कर दिया है कि किसी कंपनी के ऋणशोद्धन प्रक्रयि में सभी पक्षों के हतों का ध्यान कैसे रखा जाएगा।
- ध्यातव्य है कि कुछ दिनों पहले इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से संबंधित संशोधन नियमों का एक नोटफिकेशन जारी किया गया था, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक और ऋण देने वाले अन्य संस्थान कार्रवाई से प्रभावित दूसरे हतिधारकों को नुकसान पहुँचाकर अपने हति नहीं साध सकते।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2015' ?

- विदित हो कि वर्ष 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाऊन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशिल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाइजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फरम व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दविलिया हो सकते हैं। यदि कोई आरथक इकाई दविलिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और सबसे उस व्यक्तिया फरम को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुज़रना पड़ता है। देश में अभी तक दविलियानन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे, जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।
- विदित हो कि बैंकरप्सी कोड के तहत दविलियानन प्रक्रयि को 180 दिनों के अंदर नपिटाना होगा। यदि दविलियानन को सुलझाया नहीं जा सकता तो ऋणदाता (Creditors) का ऋण चुकाने के लिये उधारकरता (borrowers) की परसिंप्ततयों को बेचा जा सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है बैंकरप्सी कोड 2015

- कसी कारोबारी द्वारा बैंकों का करज़ चुकता न किया जाने से न सरिफ बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि देश की अरथव्यवस्था भी कमज़ोर होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वत्तीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खज़ाने से करनी पड़ती है। यह खज़ाना देश की सामूहिक आय, नागरिकों द्वारा दिये गए कर और बचत की राशि से बनता है। अतः बैंकरप्सी कोड एनपीए समस्या के समाधान के लिये महत्वपूर्ण है।
- साथ ही बैंकरप्सी कोड केवल एनपीए समस्या का ही समाधान नहीं है, बल्कि भारत की पुरातन और अप्रचलित दविलियानन कानूनों में सुधार करना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। दरअसल, हम जसि सुधार की बात कर रहे हैं वह दो पक्षों से संबंधित है; डेटर (debtor) तथा क्रेडिटर (creditor) यानी लेनदार और देनदार। दोनों ही पक्षों का ध्यान रखते हुए बैंकरप्सी कोड में आपेक्षति सुधार की यह पहल सराहनीय है।